Title: Requests to reconsider the issue to review the Constitution of India by the Government.

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : महोदय, मैंने भारतीय संविधान की समीक्षा के बारे में बोलने के लिए आपको नोटिस दिया है। इस संबंध में कल भी मैंने और मेरी पार्टी के सदस्यों ने इस वि्ाय पर कुछ कहना चाहा था, लेकिन आपने यह कहा कि आपको जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया जाएगा। दुख की बात है -----------
----

* Not Recorded.

कि कल इस वि्ाय पर बहुजन समाज पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन आज इस वि्ाय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं।

जिस वि्ाय पर मैं सरकार के समक्ष कुछ बात रखना चाहती हूं, उसके बारे में हमारा यह मानना है कि भारतीय संविधान की समीक्षा का जो मुद्दा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की समीक्षा करने का जो फैसला सरकार ने लिया है, यह फैसला अपने आप मे ही असंवैधानिक है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इसकी समीक्षा की जाए, लेकिन सरकार की ओर से यह कह कर समीक्षा करने का फैसला लिया गया कि भारतीय संविधान की समीक्षा करना देश के हित में बहुत जरूरी है। इस बारे में आपके माध्यम से मैं सरकार को यह अवगत कराना चाहती हूं कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय भारतीय संविधान को बनाने वाले लोगों ने बहुत सोच-समझ कर संविधान का निर्माण किया और देश के हित को भी ध्यान में रख कर, दूरदृटि को ध्यान में रख कर भारतीय संविधान बनाया था। इसे बनाने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसके कई मेम्बर थे और परम पूज्य बाबासाहेब डा. अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे। उन्होंने देश के हित को ध्यान में रख कर, दूरदृटि को ध्यान में रख कर भारतीय संविधान में अमेडमेंट की व्यवस्था की थी।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I think we have Business Advisory Committee meeting at 3 o'clock. We will discuss it with the leaders in the meeting and find a solution.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: There are 29 notices. I want to complete all the notices.

1246 hours (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: Find out whose telephone it is.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: It is a cellular phone. Take care of that. You must take the telephone.

...(*Interruptions*)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह बड़े लोगों के प्रेस्टीज़ का सवाल है, इससे ये बड़े आदमी बनते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास होगा तो भी हम कनफिसकेट करेंगे।

...(व्यवधान)

कुमारी मायावती : महोदय, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने और खास तौर से परम पूज्य बाबासाहेब डा. अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने के लिए देश के हित को, दूरदृटि को ध्यान में रख कर भारतीय संविधान में ऑलरेडी अमेडमेंट का प्रोविजन रखा था, वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि जब भारतीय संविधान में पहले से ही संशोधन की व्यवस्था है तो संविधान की समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे इसके पीछे एन.डी.ए. की सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आती है, लगता यह है कि वह अपने गुप्त एजेंडे को मनवाना चाहती है, पूरा कराना चाहती है। यह मामला मामूली नहीं है। अगर सरकार समीक्षा करना चाहती भी थी तो संसद में सभी पार्टियों की राय जानना उसके लिए जरूरी था । आज " हिंदुस्तान " समाचार पत्र में वरिठ संविधानविद् श्री नारीमन का एक लेख छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि संसदीय प्रणाली का तकाजा है कि सरकार ऐसे किसी भी आयोग के गठन का प्रस्ताव सदन के सामने रखे, उसके ऊपर बहस कराये और सहमति होने के बाद उसे कार्यान्वित करे। हमारा मानना है कि यदि सरकार संविधान की समीक्षा करना चाहती थी तो सदन के दोनों सदनों की सहमति लेकर उसे इस बारे में सोच-विचार करना चाहिए था।

दूसरा, संविधान की समीक्षा के लिए जिस आयोग का गठन किया गया है और उसमें चेयरमैन और मैम्बर्स भी नियुक्त हुए हैं लेकिन इस आयोग ने न तो सदन के अंदर और न बाहर ही बताया है कि किन-किन मुद्दों को लेकर संविधान की समीक्षा की जा रही है। उन मुद्दों का जिक्र सरकार ने आज तक नहीं किया है। हमारा संविधान लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है। पिछले 9-10 सालों में दबे-कुचले लोगों में, बैकवर्ड क्लास में, धार्मिक अल्पसंख्यकों में जो राजनैतिक चेतना पैदा हो रही है और जिसके कारण केन्द्र और राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता पैदा हुई है। मैं यह महसूस कर रही हूं कि 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी कि उन्हें पूर्ण बहुमत हासिल हो जाये, लेकिन उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उनकी मिली-जुली पार्टियों की सरकार चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एन.डी.ए. की सरकार चल रही है वह संविधान समीक्षा की आड़ में लोकतंत्र को खत्म करके कुछ सिस्टम ऐसा बनाना चाहती है जिससे वह अल्पमत में रहते हुए भी पांच साल तक टिकी रहे। â€¦(व्यवधान)

दूसरा, भारतीय संविधान में कमजोर तबके के लोगों को और खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो हक मिले हुए हैं, रिजर्वेशन जैसी सुविधा मिली हुई है, संविधान समीक्षा की आड़ में यह सरकार उन हकों को खत्म करना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्यकाल है, आपको इतनी बड़ी तकरीर नहीं करनी है।

कुमारी माया्वती : संविधान समीक्षा की आड़ में इन्होंने यह जो कदम उठाया है, यह गलत है। â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have to control the House, not you.

कुमारी माया्वती : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करती हूं कि इस पर वह पुनः विचार करे। यदि संविधान समीक्षा की आड़ में आपने लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता को घात पहुंचाया, कमजोर तबके के अधिकारों का हनन किया तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी और आपकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः श्री राशिद अल्वी का भी इसमें नाम है। वह इसी विाय पर बोलना चाहते हैं। अब वह अपनी बात को रखें।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जाय्स्वालः उपाध्यक्ष महोदय, माया्वती जी ने यह मामला उठाया लेकिन सारा सदन चाहता है कि इस पर बहस कराई जाए। ....(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seats. This is not the way. Please sit down. Shri Rashid Alvi's name is there. He has to only associate with the matter. He can make only one sentence.

...(*Interruptions*)

SHRI RASHID ALVI (AMROHA): I associate myself with the view expressed by her. That is all I want to say. Thank you, Sir.

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहन माया्वती जी के लम्बे भाण का लम्बा जवाब नहीं दूंगा लेकिन उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पट करना चाहूंगा। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि संविधान की समीक्षा की व्यवस्था करते समय सरकार के मन में कोई खोट नहीं है। सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। ..(व्यवधान)

कुमारी माया्वतीः आपने सदन को विश्वास में नहीं लिया। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt him.

श्री प्रमोद महाजनः मुझे सम्माननीय सदस्या की यह बात समझ में नहीं आती कि सदन को विश्वास में लिए बिना संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है? संसद ही संविधान में संशोधन करती है। कोई कमेटी उसमें संशोधन नहीं करती। हम इस पर बहस कराने के लिए तैयार हैं। आपसे आग्रह है कि आप इसके लिए समय निर्धारित करें। इस पर बहस हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है जो ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः रघुवंश जी, बहुत से मैम्बर्स का नाम लिस्ट में है। आप बैठ जाएं।